



रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर मध्य रेलवे बाल्मिकी चौराहा, नवाब युसुफ, इलाहाबाद

वर्ष 2017-18 में सांस्कृतिक कोटा के अंतर्गत (खुली भर्ती) हेतु अधिसूचना

रोजगार सूचना सं. CQ 2017-18

जारी करने की तिथि: 09.12.2017

अंतिम तिथि: 31.12.2017 23.59 बजे तक।

उत्तर मध्य रेलवे में सांस्कृतिक कोटा वर्ष 2017-18 में खुली भर्ती के तहत ग्रेड पे ₹1900-2000/- (7वे सी.पी.सी. के बाद संशोधित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेबल - 02/03) में भर्ती के लिए नीचे पैरा 02 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षणिक और सांस्कृतिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से नीचे दर्शाये गये विधाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्र.सं.	विधा	वेतनमान	पदों की संख्या
1	गायक (हिन्दुस्तान-लाइट)	रू.5200-20200 ग्रेड पे 1900/2000 7वे सी.पी.सी. के	01
2.	की बोर्ड (सिंथेसाइज़र)	बाद संशोधित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेबल - 02/03)	01

उपरोक्त कोटा सभी श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु हैं बशर्ते वे न्यूनतम योग्यता रखते हों।

2. योग्यता :

2.1 आवश्यक:

2.1.1 शैक्षिक योग्यता:

इण्टरमीडिएट या इसके समकक्ष की शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक सहित उत्तीर्ण किया हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक की शर्त लागू नहीं होगी।

टेक्नीकल पदों हेतु अभ्यर्थियों को एकट अप्रेंटिस/आई टी आई पास होना अनिवार्य है। एकट अप्रेंटिस/आई टी आई के सर्टिफिकेट एस.सी.वी.टी./एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए।

2.1.2 सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित क्षेत्र में डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

2.2 वांछनीय:

2.2.1 संबंधित क्षेत्र में ऑल इण्डिया रेडियो/दूरदर्शन आदि में दिये प्रस्तुतीकरण का अनुभव।

2.2.2 राष्ट्रीय स्तर पर जीते गये पुरस्कार।

3. आयु: अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2018 को 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार का जन्म 02.01.1990 से पहले और 01.01.2000 के बाद का नहीं होना चाहिए।

3.1 आयु सीमा में छूट :-

श्रेणी	आयु में छूट की अवधि
अनु.जाति/जन जाति	05 वर्ष
अन्य पिछड़ा वर्ग	03 वर्ष
शारीरिक रूप से विकलांग	10 वर्ष बशर्ते जिस पद पर नियुक्ति प्रदान की जानी हो वह पद शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए उपयुक्त हो।
सेवारत कर्मचारी	क) सेवारत रेलवे कर्मचारियों और आकस्मिक मजदूरों को ऊपरी आयु सीमा में निम्नवत छूट दी जायेगी बशर्ते कि वे 03 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों। अनारक्षित उम्मीदवारों को 40 वर्ष तक, अ.पि.वर्ग के उम्मीदवारों को 43 वर्ष तक एवं अ.जाति/अ.ज.जाति उम्मीदवारों को 45 वर्ष तक। ख) इसी प्रकार रेलवे संगठन के अर्ध शासकीय कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में सेवा अवधि के बराबर (अधिकतम 05 वर्ष) छूट प्रदान की जायेगी।
विधवा/तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं	विधवा/तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो को 35 वर्ष- सामान्य वर्ग, 40 वर्ष- अ.जा/अ.ज.जाति एवं 38 वर्ष तक- अ.पि.व. (उक्त के संबंध में विधिक न्यायालय का आदेश आवश्यक है।)
जम्मू कश्मीर के प्रवासी/निवासी	जम्मू कश्मीर के प्रवासी/निवासी जो 01 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1989 के बीच जम्मू कश्मीर में निवास कर रहे थे, को आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

4 भर्ती प्रक्रिया: सांस्कृतिक कोटा के अंतर्गत योग्य उम्मीदवारों का चयन निम्न प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

(अ) लिखित परीक्षा

(वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित) : 50 अंक

(ब) प्रतिभा का मूल्यांकन सम्बन्धित क्षेत्र में

4.1.1 प्रायोगिक प्रदर्शन के आधार पर : 35 अंक

4.1.2 व्यक्तिगत परीक्षा/पुरस्कार इत्यादि : 15 अंक

योग : 100 अंक

5 भर्ती की शर्तें:

5.1 आवेदन करने से पहले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि वह न्यूनतम पात्रता मापदण्ड पूरा करता है।

5.2 नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार को रेलवे प्रशासन द्वारा ली जाने वाली अपेक्षित चिकित्सा उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

5.3 जिन पदों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण अपेक्षित है उन पदों पर नियुक्ति के पूर्व उम्मीदवारों को प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त करनी होगी।

5.4 चयनित उम्मीदवार की यदि लिपिक कम टाइपिस्ट वर्ग में नियुक्ति की जाती है तो उसे 02 वर्ष के अंतर्गत टाइपराइटर पर हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट अथवा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी। यदि चयनित उम्मीदवार 02 वर्ष के अन्दर टंकण परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उसे अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और उक्त अभ्यर्थी की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

5.5 केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को देय छूट हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

5.6 आवश्यकता पड़ने पर चयनित उम्मीदवारों को प्रशासन द्वारा आयोजित गतिविधियों/आयोजनों इत्यादि की व्यवस्था के लिए उपयोग में लाया जायेगा और इसके साथ-साथ वे अपने पद के दायित्वों का भी निर्वहन जारी रखेंगे।

5.7 चयनित अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुविधानुसार/आवश्यकतानुसार कहीं भी किसी भी पद पर नियुक्ति किया जाएगा।

6 सेवारत उम्मीदवार :-

सेवारत रेलवे कर्मचारियों और रेलवे संगठन के अर्धशासकीय कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी/उम्मीदवारों को, अपने कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण-पत्र (NOC) अपलोड करना होगा।

7 परीक्षा शुल्क :-

7.1 नीचे पैरा 7.2 में दर्शाये गये उम्मीदवारों को छोड़ कर सभी उम्मीदवारों को रू0 500/- शुल्क देना होगा।

7.2 अ0जा0/अ0ज0जा0/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/महिला/अल्पसंख्यक/आर्थिक पिछड़ा वर्ग को रू0 250/- शुल्क देना होगा। जो कि वास्तव में लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को वापस लौटाया जायेगा।

7.3 आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक आय रू0 50000.00 से कम है। ऐसे उम्मीदवारों को आय प्रमाण पत्र परिशिष्ट-ग के अनुसार अपलोड करना होगा।

7.4 परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में लौटाया नहीं जायेगा (पैरा 7.2 में दर्शाये गये उम्मीदवारों को छोड़ कर)। परीक्षा शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से जैसे इन्टरनेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही जमा होगा, जिसका प्रोसेसिंग चार्ज भी अभ्यर्थी को वहन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा शुल्क के दायरे में आते हैं और परीक्षा शुल्क जमा न किया हो, उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

8. आवेदन कैसे करें-

8.1 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट <http://www.rrcald.org> पर भरे। ऑनलाइन आवेदन भरने के पहले दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि उसके द्वारा भरी गयी सारी सूचना सही है।

8.2 उम्मीदवार आवेदन पत्र में माँगी गयी सूचना, बायोडाटा एवं परीक्षा शुल्क आदि से सम्बन्धित सभी जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से ध्यान से भरें।

नोट I:-उम्मीदवार अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि सूचना अपने दिये गये मैट्रिक स्तर के अभिलेख के अनुसार सही-सही भरें। दस्तावेज सत्यापन के समय भिन्नता पाये जाने पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी

जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना नाम बदला हो तो उसे दस्तावेज सत्यापन के समय गजेट नोटिफिकेशन या न्यायिक प्रपत्र इत्यादि प्रस्तुत करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी अपना बदला हुआ नाम अंकित करेंगे तथा अन्य जानकारीयों मैट्रिक स्तर के अभिलेख के अनुसार

नोट II :- अभ्यर्थी अपना ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर ऑनलाइन आवेदन भरते समय अंकित करे तथा इसे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक चालू रखें। उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण सूचना ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर के माध्यम से समय-समय पर भेजी जाती रहेगी और माना जायेगा कि अभ्यर्थियों ने इसे पढ़ लिया है।

8.3 परीक्षा शुल्क रू. 500/- (पैरा 7.2 में दर्शाये गये उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क रू. 250/-) ऑनलाइन माध्यम से इन्टरनेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करे (प्रोसेसिंग चार्ज अलग से)। परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय समस्त आवश्यक जानकारीयों संबंधित कॉलम में सही-सही भरना होगा।

8.4 ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपना हाल का बना हुआ रंगीन फोटो साइज 3.5 cm x 3-5 cm (श्याम/श्वेत फोटो मान्य नहीं होगा) JPEG फारमेट में 20 Kb से 30 Kb का स्कैन करके अपलोड करें।

8.5 ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपना हस्ताक्षर (अंग्रेजी तथा हिन्दी) JPEG फारमेट में 10 Kb से 15 Kb का स्कैन करके अपलोड करें।

नोट:-फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर: साइज 3.5 cm x 3.5 cm (श्याम/श्वेत फोटो मान्य नहीं होगा) JPEG फारमेट में 20 Kb से 30 Kb बिना कैप/बिना काला/धूप का चश्मा के अपलोड होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अस्पष्ट फोटो, पुरानी फोटो, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में किया हुआ हस्ताक्षर या आवेदन पत्र में अपलोड किया हुए फोटो एवं उम्मीदवार में भिन्नता पाये जाने पर उसकी उम्मीदवारी किसी भी समय निरस्त कर दी जायेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने प्रवेश पत्र के साथ दो फोटोग्राफ जो आवेदन पत्र में चस्पा किया है एवं एक पहचान पत्र परीक्षा के समय साथ में लायें।

8.6 आनलाइन फॉर्म भरने के उपरान्त प्रत्येक अभ्यर्थी को एक रजिस्ट्रेशन नम्बर दिया जायेगा। कृपया उसे सम्भाल कर रखें इसी के माध्यम से आगे कोई भी सूचना का अदान प्रदान आर0 आर0 सी0, इलाहाबाद के द्वारा किया जायेगा।

नोट I:-एसे आनलाइन आवेदन पत्र जिसमें आवश्यक कॉलम नहीं भरा गया हो, अपूर्ण हो, हस्ताक्षर न किया हो अथवा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर किया गया हो, फोटो न अपलोड हो, परीक्षा शुल्क न जमा हो, उन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट II :- यदि उम्मीदवार का आवेदन पत्र किसी कारण वश निरस्त कर दिया गया हो तो निरस्तरण का कारण वेबसाइट पर देखा जा सकता है इसकी सूचना पोस्ट ऑफिस द्वारा नहीं दी जायेगी। आनलाइन आवेदन में अंकित रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल पर एस0एम0एस0 एवं ई-मेल एलर्ट भेज दिया जायेगा।

नोट III:-उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि बिना अन्तिम दिन का इन्तजार किये आवेदन पत्र सही समय पर भर दें क्योंकि अन्तिम समय में वेबसाइट पर अधिक लोड पड़ने अथवा इन्टरनेट बन्द अथवा टेकनिकल खराबी आने पर आवेदन पत्र भरने में कठिनाई आ सकती है।

नोट IV :-यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र अन्तिम समय से पहले नहीं भर पाया तो इसकी जिम्मेदारी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की नहीं होगी।

8.7 आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को अपलोड करना होगा-

8.7.1 आयु प्रमाण पत्र

8.7.2 शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र

8.7.3 सांस्कृतिक योग्यता का प्रमाण पत्र

8.7.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार जिन्हें निकटतम स्टेशन से लिखित परीक्षा/अभिक्षमता परीक्षा के समय परीक्षा के स्थान तक का निःशुल्क द्वितीय श्रेणी के पास की व्यवस्था चाहते हों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र "परिशिष्ट-क" के प्रारूप पर अपलोड करना होगा। रिजर्वेशन प्राप्त करते समय अथवा यात्रा करते समय रिजर्वेशन क्लर्क तथा टिकट चेकिंग स्टाफ को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का मूल प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा।

8.7.5 सेवारत कर्मचारी/उम्मीदवारों को, अपने कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण-पत्र (NOC) अपलोड करना होगा।

8.7.6 अन्य पिछड़ी जाति से संबंधित उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट हेतु संलग्न परिशिष्ट-ख के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

नोट:-उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की प्रिंट आउट, जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य की छायाप्रति रेल भर्ती प्रकोष्ठ को भेजने की जरूरत नहीं है।

9 अस्वीकृत आवेदन पत्र:-

कृपया अभ्यर्थी सभी सूचनाओं को पढ़ कर ही अपना ऑनलाइन आवेदन भरें। अन्यथा अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निम्नलिखित किन्हीं एक या अधिक कारणों से निरस्त कर दिया जायेगा। यदि उम्मीदवार का आवेदन पत्र किसी कारण वश निरस्त कर दिया गया हो तो रिजर्वेशन रीजन वेबसाइट पर देखा जा सकता है एवं एस0एम0एस0 द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल पर भेज दिया जायेगा। जिसकी सूचना पोस्ट ऑफिस द्वारा नहीं दी जायेगी।

9.1 आवेदन पर हस्ताक्षर न करना अथवा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में करना।

9.2 आवेदन बिना कलर फोटो का होना, कैप के साथ फोटो/धूप का चश्मा लगा फोटो/अस्पष्ट/स्कैन किया हुआ/छायाप्रति का फोटो होना।

9.3 आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता न धारण करने वाले उम्मीदवार।

9.4 आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर निर्धारित सांस्कृतिक योग्यता न धारण करने वाले उम्मीदवार।

9.5 अधिक तथा अल्प आय वाले उम्मीदवार, जन्मतिथि न भरा होना/गलत भरा होना।

9.6 उम्मीदवार का नाम निष्काशित सूची में होना।

9.7 परीक्षा शुल्क जमा न होने पर।

10. विधिक मामलें: इस रोजगार सूचना से संबंधित किसी भी विधिक मामले का निस्तारण केवल इलाहाबाद के विधिक क्षेत्राधिकार में ही किया जायेगा।

महत्वपूर्ण सूचनाएं

1.0 आवेदन से पूर्व योग्यता जांच लें - आवेदन करने से पहले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि वह न्यूनतम पात्रता मापदण्ड पूरा करता है। लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को बुलावा उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिये गये सूचनाओं के आधार पर ही होगा। यदि अभ्यर्थी कोई भी गलत या अधूरी सूचना किसी प्रकार की अनियमितता, कमी, त्रुटि पर एवं अपूर्ण सूचना या इस नोटिफिकेशन में वाणिज्यिक किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता तो रेल प्रशासन भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में/भर्ती के बाद भी उसकी उम्मीदवारी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रखता है।

2.0 परीक्षा शुल्क-

a) पैरा 7.2 में दर्शाये गये उम्मीदवारों को छोड़ कर सभी उम्मीदवारों को रू0 500/- शुल्क देना होगा।

b) अ0जा0/अ0ज0जा0/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/महिला/अल्पसंख्यक/आर्थिक पिछड़ा वर्ग को रू0 250/- शुल्क देना होगा।

3.0 आवेदन कैसे करें- पद के लिए अभ्यर्थी आर0 आर0 सी0, इलाहाबाद की वेबसाइट (<http://www.rrcald.org>) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए पूर्ण दिशानिर्देश आर0 आर0 सी0, इलाहाबाद की वेबसाइट पर दिये गये हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश उपर पैरा 8 एवं 9 में वाणिज्यिक हैं।

4.0 आवेदन:- दिनांक 31.12.2017 को 23.59 बजे तक पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की प्रिंट आउट, जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य की छायाप्रति रेल भर्ती प्रकोष्ठ को भेजने की जरूरत नहीं है।

अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन करें।

किसी और माध्यम से आवेदन मान्य नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश

- जिस अभ्यर्थी को आवेदन करना हो, वह आर0आर0सी0 की वेबसाइट पर जायें।
- "ONLINE FORM" इस लिंक पर क्लिक करें।
- "NEW REGISTRATION" इस लिंक पर क्लिक करें।
- अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, ई-मेल पता तथा मोबाइल नम्बर दर्ज करें।
- रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए दिये गये दिशा निर्देश को अपनायें और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
- रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा पासवर्ड से लॉगइन करें और पद को चुनें।
- पूछी गयी सूचनाओं को भरें जैसे शैक्षणिक योग्यता आदि। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर।

क्रमशः

8. परीक्षा शुल्क ऑनलाइन के माध्यम (जैसे इन्टरनेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड आदि) से जमा करें।
9. अभ्यर्थी अपना हाल का बना हुआ रंगीन फोटो साइज 3.5 cm x 3.5 cm (श्याम/श्वेत फोटो मान्य नहीं होगा) JPEG फारमेट में 20 Kb से 30 Kb का स्कैन करके अपलोड करें।
10. ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपना हस्ताक्षर (अंग्रेजी तथा हिन्दी) JPEG फारमेट में 10 Kb से 15 Kb का स्कैन करके अपलोड करें।
11. वेबसाइट पर "UPLOAD" लिंक को क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा पासवर्ड से लॉगइन करने के उपरांत फाइल/स्कैन फाइल को अपलोड करें।
12. 150 DPI तथा 150 KB से 300 KB तक, JPEG format पर आयु प्रमाण पत्र अपलोड करें।
13. 150 DPI तथा 150 KB से 300 KB तक, JPEG format पर सांस्कृतिक योग्यता प्रमाण पत्र अपलोड करें।
14. वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार जो निकटतम स्टेशन से लिखित परीक्षा/अभिक्षमता परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय परीक्षा के स्थान तक का निःशुल्क द्वितीय श्रेणी के पास की व्यवस्था के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें। 150 DPI तथा 100 KB से 200 KB तक, JPEG format पर स्कैन करें।
15. आवेदन Submit करें। अपने आवेदन की पावती प्रिंट कर लें।
16. अभ्यर्थी अपना आवेदन संशोधित करना चाहते हों तो अंतिम तारीख से पूर्व, Final Submit के तीन दिन बाद, जो पहले हो, अपना आवेदन संशोधित कर सकते हैं।
17. ऑनलाइन जमा किया हुआ आवेदन संशोधित करने के लिए वेबसाइट की "ONLINE FORM" लिंक पर क्लिक करें।
18. "Modify Application लिंक पर क्लिक करें।

परिशिष्ट-क

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप
भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनजाति द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री श्री.....

.....निवासी ग्राम/कस्बा.....जिला/संभाग.....राज्य/संघ.....अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित है जो निम्नलिखित आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति) आदेश 1950
संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति) (संघ क्षेत्र) आदेश 1951
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन), 1956, मुम्बई रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 1960, पंजाब रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (रिऑर्गनाइजेशन) अधिनियम 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।
संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदेश 1956,
संविधान (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962,
संविधान (दादर एवं नागर हवेली) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदेश 1962
संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964
संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश 1967
संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदेश 1968
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश 1970
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदेश 1978
संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1989
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1996
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002
संविधान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. यह उन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ क्षेत्र प्रशासन से प्रत्यावर्तित हुए हैं।
यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी.....के पिता/माता श्री/श्रीमती.....निवासी ग्राम/कस्बा.....जिला/संभाग.....प्रदेश/संघ क्षेत्र.....को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया जो.....जाति/जनजाति से संबंधित है जो.....राज्य/संघ क्षेत्र में.....द्वारा जारी.....द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं।
3. श्री/श्रीमती/कुमारी और उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा.....जिला/संभाग.....राज्य/संघ क्षेत्र.....में रहता है।

राज्य/संघ क्षेत्र
स्थान:.....हस्ताक्षर.....
दिनांक:.....पदनाम.....
(कार्यालय की मोहर)

- जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें।
कृपया राष्ट्रपति का विनिर्दिष्ट आदेश उद्धृत करें।
जो अनुच्छेद लागू न हो, उसे काट दें।
टिप्पणी: यहाँ प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का आशय वही है जो लोक अभ्यावेदन अधिनियम 1950 के खण्ड 20 का है।
अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-
(1) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर/तालुक मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
(2) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे न हो।
(4) क्षेत्र का सब-डिवीजनल आफिसर जहाँ अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
(5) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित राज्य सरकार या केन्द्रीय राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र
(6) प्रशासक/सचिव प्रशासक(लक्षदीप, मिनीकांय और अमनदीव द्वीप)

परिशिष्ट-ख

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....जिला/मंडल.....ग्राम/शहर.....के निवासी हैं जो.....समुदाय के हैं जिसे भारत सरकार, सामाजिक

न्याय एवं शक्तीकरण मंत्रालय के दिनांक.....के संकल्प संख्या.....के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। * श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा उनका परिवार सामान्यतया.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....जिला/मंडल के निवासी हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकारए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/9/1993** के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था.(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) कि श्रेणी से संबंधित नहीं है।**

दिनांक.....जिलाधिकारी
उपायुक्त इत्यादि

मुहर.....

* - प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प में ब्यौरों का उल्लेख करना है जिसमें उम्मीदवार की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख किया गया है।

** - समय-समय पर संशोधित।
टिप्पणी:- यहाँ प्रयुक्त 'साधारण निवासी' का अर्थ वहीं है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में वर्णित है।

परिशिष्ट-ग

बोर्ड के पत्रांक सं० ई(आरआरबी)/2009/25/21 दिनांक 28.10.2009 के पैरा-3 के अनुसार प्रधान पत्र पर जारी किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र प्रारूप।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (जिनके परिवार की वार्षिक आय रु 50,000 से कम हो) के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के मुगतान से छूट का प्रारूप

1. अभ्यर्थी का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. आयु.....
4. घर का पता.....
5. परिवार की वार्षिक आय.....
(शब्दों एवं अंकों में).....
6. निर्गत तिथि.....
7. हस्ताक्षर.....

(जारी करने वाले अधिकारी का नाम)

जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर

परिशिष्ट-घ

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्र. पत्र सं०.....तिथि :

निशक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....आयु.....लिंग.....पहचान के चिन्ह.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थाई निशक्तता से ग्रस्त हैं:-

- क. प्रमास्तिकीय या गतिविषयक :**
(i) बीएल-दोनों टांगे प्रभावित लेकिन बाजू नहीं
(ii) बीए-दोनों बाजू प्रभावित
(iii) ओएल-एक टांग प्रभावित (दाई या बाई)
(iv) ओए-एक बाजू प्रभावित
(v) बीएच-स्टिफ बैक एण्ड हिप्स (बैठ या झुक नहीं सकता)
(vi) एमडब्ल्यू-मांसपेशियों की कमजोरी और सीमित शारीरिक सक्षमता

- ख. दृष्टिहीनता या अल्प दृष्टि:**
(i) बी-दृष्टिहीन
(ii) पीबी-अर्द्ध दृष्टिहीन
- ग. * श्रव्य विकलांगता:-**
(i) डी-बहरा
(ii) पीडी-अर्द्ध बहरा
(जो लागू न हो उसे काट दें)
2. स्थिति प्रोग्रेसिव/नॉन-प्रोग्रेसिव/सुधार होने योग्य/सुधार न होने योग्य है, मामले के पुनर्मूल्यांकन की अनुशंसा नहीं की जाती है/.....वर्ष.....माह की अवधि के बाद अनुशंसा की जाती है :
3. उनके मामले में अशक्तता का.....प्रतिशत है:-
4. श्री/श्रीमती/कु०.....उसकी ड्यूटियों के निष्पादन के लिये अपेक्षित निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाएं रखते हैं।

- | | |
|---|----------|
| (i) एफ-उंगलियों के साथ कार्य कर सकता है | हां/नहीं |
| (ii) पीपी-धकेलकर तथा खींचकर कार्य कर सकता है | हां/नहीं |
| (iii) एल-लिफ्टिंग से कार्य कर सकता है | हां/नहीं |
| (iv) केसी-नीलिंग और काउचिंग से कार्य कर सकता है | हां/नहीं |
| (v) बी-बेडिंग से कार्य कर सकता है | हां/नहीं |
| (vi) एस-बैठकर कार्य कर सकता है | हां/नहीं |
| (vii) एसटी-खड़े होकर कार्य कर सकता है | हां/नहीं |
| (viii) डब्ल्यू-चलकर कार्य कर सकता है | हां/नहीं |
| (ix) एसई-देखकर कार्य कर सकता है | हां/नहीं |
| (x) एच-सुनकर/बोलकर कार्य कर सकता है | हां/नहीं |
| (xi) आरडब्ल्यू-पढ़कर और लिखकर कार्य कर सकते है | हां/नहीं |

(डा०.....) सदस्य (डा०.....) सदस्य (डा०.....) सदस्य

चिकित्सालय अधीक्षक/सीएमओ/अस्पताल प्रमुख द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित (मुहर सहित)

1002/17(K)